छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक /3335/अशास. मान्यता./2026 रायपुर, दिनांक 7/9/2026

–:: नवीन मान्यता निर्देश ::–

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मान्यता विनियम 1994 के विनियम सात एवं चौदह के अन्तर्गत प्रावधानित व्यवस्था के तहत निम्नानुसार मापदण्डों के अनुरूप अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के सामान्य तौर पर मूलभूत सुविधाओं को होना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु पूर्व में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/14/अशास. मान्यता/2018, रायपुर दिनांक 02/02/2018 द्वारा नवीन निर्देश जारी किये गये थे। राज्य शासन के द्वारा छ.ग.मा.शिक्षा अधिनियम 1965 की धारा 09 की उपधारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश क्रमांक Rule 477/2026/20–3 नवा रायपुर दिनांक 09/06/2026 में छ.ग.मा. शिक्षा मण्डल को दिए गए निर्देश के तारतम्य में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 328 नवा रायपुर बुधवार दिनांक 17/जून/2026 के अनुरूप पूर्व में जारी किये गये निर्देश दिनांक 02/02/2018 में मान्यता समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार आवश्यक संशोधन उपरांत निम्नानुसार नवीन निर्देश निर्देश जारी किए जाते है।

(1)	**मान्यता हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं समयावधि :–**

(1) मान्यता हेतु आवेदन मण्डल द्वारा निर्धारित पोर्टल एवं प्रपत्र में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदन संस्था के अधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

(4) एक ही शैक्षणिक सत्र में संस्था को हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की मान्यता एक साथ प्रदान नही की जावेगी ।

(5) हाईस्कूल की मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही हायर सेकण्डरी की मान्यता हेतु आवेदन पत्र नियमानुसार ऑनलाईन स्वीकार्य किये जायेगें ।

(6) नवीन मान्यता हेतु संस्था द्वारा 02 वर्ष पूर्व 15 अप्रैल तक निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) नवीन मान्यता हेतु आवेदन पत्र एवं शुल्क तथा समस्त प्रमाणित दस्तावेजों को ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल तथा विलंब शुल्क के साथ 31 जुलाई निर्धारित है।

(8) मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र सामान्य शुल्क के साथ ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित है। अंतिम तिथि समाप्ति पश्चात् विलंब शुल्क 28 फरवरी तक रूपये 4000/– निर्धारित है। 28 फरवरी समाप्ति के पश्चात् विलंब शुल्क रूपये 4000/– के साथ–साथ प्रति दिवस 100 रूपये की दर से अतिरिक्त विलंब शुल्क हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा हेतु पृथक–पृथक लिया जायेगा। मण्डल के आदेशानुसार समय – समय पर शुल्क की राशि परिवर्तनीय होगी।

(9) हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम हेतु समस्त संसाधन (भूमि, भवन, प्राचार्य एवं स्टॉफ) पृथक – पृथक होने चाहिये ।

(10) एक ही परिसर के एक ही भवन में दो या दो से अधिक पृथक–पृथक बोर्ड का संचालन नहीं किया जाएगा।

(11) मण्डल से बिना मान्यता के हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी कक्षाओं का संचालन नहीं किया जावेगा। जिन संस्थाओं को मान्यता के मापदण्ड पूर्ण न करने पर मान्यता समिति द्वारा प्रकरण अमान्य किया जाता है, ऐसी संस्थाओं में अध्ययनरत् कक्षा 9वीं से 12वीं तक के परीक्षार्थियों का संलग्नीकरण नजदीकी शासकीय संस्थाओं में ही किया जावेगा ।

(2) भूमि :–

(1) संस्था के पास स्वयं के स्वामित्व का, किरायानामा, रजिस्टर्ड लीज्ड अथवा विधि सम्मत अधिकार वाली भूमि उपलब्ध होना आवश्यक होगा।

(2) भूमि एवं भवन संस्था / समिति के स्वामित्व का होना चाहिये। यदि भूमि संस्था / समिति के स्वामित्व का नहीं है तो किराये की भूमि / भवन होने पर किरायानामा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किरायानामा न्यूनतम 03 वर्ष का हो।

(3) भूमिस्वामी के भूमि स्वामित्व का बी–1 खसरा एवं शाला के भूमि सह सिविल इंजीनियर द्वारा निर्मित भवन का नक्शा संबंधित नगर निगम/ नगर पालिका निगम/ नगर पंचायत/ग्राम पंचायत से प्रमाणित होना अनिवार्य है। नक्शा में भूमि, भवन, कक्ष का क्षेत्रफल पृथक–पृथक दर्शाया जाना है।

(4) किराए की भूमि / भवन होने पर प्रस्तुत किये जाने वाले किरायानामा में खसरा नंबर एवं क्षेत्रफल (वर्गफीट) का उल्लेख होना तथा बी–1,खसरा एवं नक्शा की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। किरायानामा समिति अथवा संस्था के नाम पर होना अनिवार्य है।

(5) लीज की भूमि / भवन होने पर रजिस्टर्ड लीज डीड प्रस्तुत करना होगा।

(6) संस्था / समिति के स्वामित्व की भूमि / भवन होने, किरायानाम, रजिस्टर्ड लीज्ड होने पर तत्संबंधी दस्तावेज स्वप्रमाणित कर जमा करना होगा।

(7) यदि नई संस्था प्रारंभ करते समय संस्था की स्वयं की (शिक्षण समिति की) स्वामित्व की भूमि नहीं है तो भूमि क्रय करने एवं भवन निर्माण की कार्ययोजना प्रस्तुत करना होगा।

(8) संस्था को, प्रस्तुत कार्य योजना का तीन वर्ष में क्रियान्वयन करना आवश्यक होगा। क्रियान्वयन नहीं किये जाने पर चौथें वर्ष से हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी हेतु निर्धारित अर्थदण्ड प्रति वर्ष मान्यता नवीनीकरण शुल्क के साथ ही ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा।

(9) संस्था के पास प्रस्तावित छात्र संख्या एवं संचालित कक्षाओं के अनुरूप पर्याप्त भूमि एवं अधोसंरचना उपलब्ध होना आवश्यक होगा।

(10) भूमि विवादमुक्त होगी तथा उसका उपयोग शैक्षाणिक प्रयोजन हेतु वैध होगा तथा भूमि पर निर्मित भवन का क्षेत्रफल व्यपवर्तित हो।

(11) यदि विद्यालय बहुमंजिला भवन में संचालित है, तो भवन की संरचनात्मक सुरक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(12) खेलकूद गतिविधियाँ/प्रार्थना सभा तथा पर्किंग व्यवस्था के लिये पर्याप्त खुली भूमि अनिवार्य रूप से हो।

(13) कृषि संकाय की मान्यता हेतु शासन के नियमानुसार प्रायोगिक कार्य हेतु कृषि जमीन का होना अनिवार्य है।

(3) भवन :–

(1) संस्था स्वीकृत पाठ्यक्रम के प्रभावी संचालन तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रस्तावित छात्र संख्या एवं संचालित कक्षाओं के अनुरूप पर्याप्त निर्मित क्षेत्र, आवश्यक अधोसंरचना एवं आधारभूत सुविधायें उपलब्ध रखेगी, तथा भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण एवं अन्य लागू वैधानिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(2) पाठ्य सहगामी गतिविधि हेतु छात्र संख्या के अनुपात में हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के लिये पर्याप्त स्थान/ हॉल होना चाहिये।

(3) अध्यापन कक्षों का निर्माण इस प्रकार होगी प्रत्येक छात्र को 6 वर्गफीट स्थान मिल सके।

(4) शाला भवन में निम्नानुसार न्यूनतम संख्या में कक्षों का होना अनिवार्य है :–

(अ) प्राचार्य, कार्यालय, स्टॉफ, पुस्तकालय व प्रयोगशाला (हाईस्कूल) के लिये एक – एक कक्ष अर्थात	**05 कक्ष**
(ब) केवल हाईस्कूल के लिये कक्षाऐं	**02 कक्ष**
	<u>कुल 7 कक्ष न्यूनतम</u>

नोटः–(1)पूर्व से संचालित हाईस्कूल संस्था को यदि हायर सेकण्डरी संचालन हेतु मान्यता लेना है तो हिन्दी एवं अंग्रेजी का पृथक से व्याख्याता (पोस्ट ग्रेजुएट एवं बी. एड.) तथा विज्ञान संकाय के लिये तीन अतिरिक्त कक्ष प्रयोगशाला हेतु आवश्यक होगा। इसी प्रकार केवल कला संकाय हेतु +2 कक्ष, कला एवं वाणिज्य सहित हेतु +4 कक्ष, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय सहित हेतु 07 कक्ष का होना आवश्यक है।

(2) जितने संकाय एवं सेक्शन होंगे, प्रत्येक सेक्शन के लिये एक – एक कक्ष आवश्यक होगा।

(3) 45 छात्र/छात्राओं के लिये एक कक्ष, उससे अधिक संख्या होने पर प्रत्येक 45 छात्र/छात्राओं के लिये एक–एक अतिरिक्त कक्ष होना आवश्यक होगा ।

(4) एक कक्ष में अधिक से अधिक 45 छात्र/छात्राऐं ही हो।

(5) संस्थाओं में अध्यापन कक्षों का साईज न्यूनतम 300 वर्गफीट होना चाहिये ।

(6) एक भवन में एक पाली में ही विद्यालय चलाने की अनुमति होगी। पाली का न्यूनतम 06 घंटा विद्यालयीन कार्यावधि होना अनिवार्य है ।

(7) परिवर्तित भूमि एवं भवन का नक्शा प्राधिकृत अधिकारी/संस्था द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।

(8) व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मध्य, आवासीय फ्लैट्स के मध्य, या अबांछित स्थानों पर स्थित विद्यालयों को मान्यता नहीं दी जावेगी। विद्यालय में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन नहीं किया जाए।

(9) निर्माणाधीन भवन होने पर संस्था को मान्यता नहीं दी जावेगी ।

(10) घास–भूमि/वन–भूमि/जंगल/शासकीय भूमि/अतिक्रमित भूमि पर निर्मित भवन/विद्यालय मान्य नहीं होगा। विधिवत् आबंटन के होने पर ही मान्यता पर विचार किया जावेगा ।

(11) विद्यालय भवन की विडियोग्राफी कराकर निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा ।

(12) संस्था स्थान/भवन/नाम/समिति में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में शाला का पुनः निरीक्षण किया जावेगा तथा निरीक्षण व्यय संस्था को वहन करना होगा ।

(13) शाला भवन का शिक्षण सत्र के दौरान अन्य गैर शैक्षणिक कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जावेगा ।

(14) अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम हेतु संस्थाओं को पृथक – पृथक संस्था कोड आबंटित किया जाएगा इस हेतु पृथक – पृथक प्राचार्य, व्याख्याताऐं एवं भवन होना अनिवार्य है ।

(15) शाला पहुँच – मार्ग सुगम एवं सुरक्षित होना चाहिये।

(4) स्वप्रमाणन :–

(1) अशासकीय शिक्षण संस्था की स्थापना संचालन अथवा अस्थायी या स्थायी मान्यता के लिए किसी आवश्यकता मूलक प्रमाणपत्र (Essentiality Certificate) की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) मान्यता, लागू सुरक्षा मानकों, अधोसंरचना की पर्याप्तता तथा वैधानिक मानकों के दस्तावेजी अनुपालन द्वारा समर्थित स्व–प्रमाणन (Self- certification) के आधार पर दी जायेगी।

(3) संस्था प्रमुख द्वारा स्व–प्रमाणन के साथ यह प्रमाणित किया जायेगा कि –

(i) आवेदन में प्रस्तुत समस्त जानकारी सत्य पूर्ण एवं सही है।

(ii) संस्था द्वारा मान्यता विनियम 1994 (यथा संशोधित) तथा मण्डल द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

(iii) विद्यालय भवन संरचनात्मक रूप से सुरक्षित है तथा उसका उपयोग शैक्षाणिक प्रयोजन हेतु उपयुक्त है।

(iv) प्रस्तावित छात्र संख्या एवं संचालित कक्षाओं के अनुरूप पर्याप्त निर्मित क्षेत्र, आवश्यक अधोसंरचना एवं आधारभूत सुविधायें उपलब्ध है।

(v) भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, स्वच्छता तथा अन्य लागू वैधानिक मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।

(vi) विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें उपलब्ध है।

(4) मण्डल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, संस्था द्वारा प्रस्तुत स्व–प्रमाणन एवं दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यकतानुसार निरीक्षण के माध्यम से कर सकेगा।

(5) यदि स्व–प्रमाणन में प्रस्तुत कोई तथ्य असत्य, भ्रामक या तथ्य छिपाकर जानकारी दिया जाना, पाया जाता तो मण्डल निम्नलिखित कार्यवाही कर सकेगा :–

(i) मान्यता निरस्त करना।

(ii) मान्यता निलंबित करना।

(iii) अर्थदंड एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही।

(5) पेयजल व्यवस्था :–

(1) संस्था द्वारा विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

(2) पेयजल की गुणवत्ता समय–समय पर लागू मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएगी।

(3) पेयजल स्थल पर स्वच्छता, जल निकासी तथा आवश्यकतानुसार बैठकर अथवा सुरक्षित ढंग से पानी पीने की व्यवस्था की जाएगी।

(4) पेयजल की टंकिया सुरक्षित हो ।

(6) पुस्तकालय :–

(1) प्रत्येक संस्था द्वारा विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रमानुसार पुस्तकालय की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएँ, समाचार–पत्र एवं अन्य अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) पुस्तकालय, विद्यालय परिसर के भीतर अथवा औपचारिक व्यवस्थाओं / समझौतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसमें भुगतान के आधार पर निकटवर्ती सरकारी संस्थानो, नगरपलिका सुविधाओं, उच्च शिक्षण संस्थानों अथवा अन्या मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ व्यवस्था भी सम्मिलित होगा।

(3) पुस्तकालयों (डिजिटल पुस्तकालयों सहित) पाठ्यसहगामी या पाठ्येत्तर गतिविधियों संबंधी सुविधाओं के साझा उपयोग की अनुमति होगी, बशर्ते कि अभिलेखित पहुँच एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

(4) पुस्तकालय में विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, प्रकाश, वेंटिलेशन तथा आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) प्रयोगशाला :–

(1) संस्था द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जाएगी।

(2) हाईस्कूल के परीक्षार्थियों के लिये प्रयोगशाला का एक कक्ष होना आवश्यक है एवं सभी उपकरण उपलब्ध हो जिनका अवलोकन कराकर अध्यापन कार्य करवाया जा सके ।

(3) हायर सेकण्डरी में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं कृषि संकाय की पृथक–पृथक प्रयोगशाला होना आवश्यक है। कृषि संकाय के प्रायोगिक अध्ययन हेतु शासन के नियमानुसार पर्याप्त भूमि अनिवार्यतः उपलब्ध हो । व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यकम हेतु संस्था को निर्धारित मापदण्डों की प्रयोगशाला/कार्यशाला की व्यवस्था करना होगा । पाठ्यक्रमानुसार निर्धारित विषयवस्तु के अनुसार प्रयोगशाला में सभी सामग्री उपलब्ध होना चाहिये ।

(4) हाईस्कूल स्तर तक की प्रयोगशाला के लिये प्रयोग संपादित करने हेतु एक लेब असिस्टेंट की व्यवस्था हो परंतु हायर सेकण्डरी प्रयोगशाला के लिये पृथक – पृथक लैब असिस्टेंट की समुचित व्यवस्था हो । न्यूनतम 01 लैब अटिस्टेंट राज्य शासन के सेटअप अनुसार हो ।

(5) प्रयोगशाला विद्यालय परिसर के भीतर अथवा औपचारिक व्यवस्थाओं / समझौतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसमें भुगतान के आधार पर निकटवर्ती सरकारी संस्थानो, उच्च शिक्षण संस्थानों अथवा अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ व्यवस्था भी सम्मिलित होगा।

(6) प्रयोगशालाओं के साझा उपयोग की अनुमति होगी, बशर्ते कि अभिलेखित पहुँच एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

(7) प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रमानुसार आवश्यक उपकरण, सामग्री, रसायन (जहाँ लागू हो), सुरक्षा उपकरण तथा सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध होना आवश्यक होगा।

(8) खेल का मैदान एवं खेल सुविधाएँ :–

(1) संस्था द्वारा विद्यार्थियों के शारीरिक विकास एवं खेल गतिविधियों हेतु आवश्यक खेल मैदान एवं खेल सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

(2) खेल मैदान विद्यालय परिसर के भीतर अथवा औपचारिक व्यवस्थाओं / समझौतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसमें भुगतान के आधार पर निकटवर्ती सरकारी संस्थानो, नगरपलिका सुविधाओं, उच्च शिक्षण संस्थानों अथवा अन्या मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ व्यवस्था भी सम्मिलित होगा।

(3) खेल मैदानों संबंधी सुविधाओं के साझा उपयोग की अनुमति होगी, बशर्ते कि अभिलेखित पहुँच एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

(9) कम्प्यूटर शिक्षण व्यवस्था :–

(1) संस्था द्वारा छात्रों हेतु समुचित कम्प्यूटर सुविधाएँ, इंटरनेट अन्य आवश्यक शैक्षणिक अधोसंरचना की व्यवस्था की जाएगी।

(2) कंप्यूटर सुविधाएँ तथा शैक्षणिक अधोसंरचना विद्यालय परिसर के भीतर अथवा औपचारिक व्यवस्थाओं / समझौतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसमें भुगतान के आधार पर निकटवर्ती सरकारी संस्थानो, नगरपलिका सुविधाओं, उच्च शिक्षण संस्थानों अथवा अन्या मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ व्यवस्था भी सम्मिलित होगा।

(3) पाठ्यसहगामी या पाठ्येत्तर गतिविधियों संबंधी सुविधाओं के साझा उपयोग की अनुमति होगी, बशर्ते कि अभिलेखित पहुँच एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

(4) कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी.जी.डी.सी.ए. योग्यताधारी शिक्षक का होना अनिवार्य है।

(10) प्रसाधन व्यवस्था :–

(1) संस्था द्वारा विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में स्वच्छ एवं सुरक्षित प्रसाधनों की व्यवस्था की जाएगी।

(2) बालक, बालिका, दिव्यांगजन तथा महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के लिए पृथक प्रसाधन कक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे।

(11) शैक्षणिक स्टॉफ की जानकारी :–

स्कूल शिक्षा विभाग के स्वीकृत सेटअप अनुसार योग्यता एवं शैक्षणिक आर्हता आवश्यक होगा।

हाईस्कूल में स्वीकृत सेटअप

प्राचार्य — 01, व्याख्याता — 06, लेखापाल / सहायक ग्रेड 02 – 01

सहायक शिक्षक विज्ञान / सहायक शिक्षक — 01, सहायक ग्रेड 03 — 01

भृत्य — 01, चौकीदार — 01, स्वीपर (अंशकालीन) — 01

कुल — 13 पद

नोट :— शासन के आदेश क्रमांक **FINACC**—36 / 382 / 2025—**Sch-Edu.** / 20—1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18—06—2025 अनुसार

शासन द्वारा सेटअप में परिवर्तन किए जाने पर तदानुसार स्वीकृत सेटअप मान्य होगा ।

शैक्षणिक योग्यता :—

प्राचार्य — 1 तथा व्याख्याता — 6, पोस्ट ग्रेजुऐट एवं बी. एड. होना अनिवार्य होगा । विज्ञान विषय हेतु व्याख्याता बॉटनी / जूयोलॉजी / माईक्रो बाइलॉजी का पोस्ट ग्रेजुऐट एवं बी. एड. होना अनिवार्य होगा। लाईब्रेरियन (बी.लीब.),कम्प्यूटर आपरेटर (पी.जी.डी.सी.ए.) एवं प्रयोगशाला सहायक हायर सेकण्डरी विज्ञान संकाय (रसायन विज्ञान सहित) होना अनिवार्य है ।

हायर सेकण्डरी में स्वीकृत सेटअप

प्राचार्य — 01, व्याख्याता — 04, (प्रति संकायवार) शिक्षक — 01, सहायक शिक्षक — 01 (विज्ञान / प्रयोगशाला सहायक)

ग्रंथपाल — 01, सहायक ग्रेड 03 — 01, भृत्य — 01

कुल — 10 पद

शैक्षणिक योग्यता (हायर सेकण्डरी) हेतु :—

एक ही संकाय के छात्रों को पढ़ाने के लिये कम से कम प्रत्येक विषय पर एक व्याख्याता होना चाहिये । एक संकाय के बाद अन्य संकाय के प्रारंभ होने पर प्रति संकाय 03 संबंधित विषय के व्याख्याता (पोस्ट ग्रेजुऐट एवं बी. एड.) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।

(1) संस्था में संचालित कक्षाओं, विषयों एवं संकायों के अनुरूप पर्याप्त संख्या में निर्धारित योग्यता प्राप्त एवं प्रशिक्षित अध्यापन स्टाफ एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति अनिवार्य है।

(2) हायर सेकण्डरी शालाओं में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास / राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र / भूगोल, के एक—एक तथा वाणिज्य के दो व्याख्याता होंगे ।

(3) व्याख्याता एवं शिक्षकों की (शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप अनुसार) योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रतियाँ निर्धारित स्टॉफ सूची के साथ संलग्न किया जाना है। स्टॉफ का पासपोर्ट साईज की रंगीन फोटो, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाईल नंबर तथा सैलरी स्लिप संबंधित शिक्षक का हस्ताक्षर युक्त विवरण जमा करना होगा।

(4) हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी संस्था के प्राचार्य को 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव होना आवश्यक है ।

(5) माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार विद्यार्थियों एवं पालकों के तनाव प्रबंधन संबंधी उचित परामर्श, मार्गदर्शन एवं मानसिक स्वास्थ्य हेतु काउंसलर की सेवायें प्राप्त किया जाये।

(12) फर्नीचर व्यवस्था :—

(1) संस्था में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कार्यालयीन उपयोग हेतु पर्याप्त एवं सुरक्षित फर्नीचर उपलब्ध हो।

(2) प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, प्रकाश, वेंटिलेशन एवं स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।

(13) विद्युत व्यवस्था :–

(1) संस्था में सुरक्षित विद्युत व्यवस्था एवं पर्याप्त प्रकाश की सुविधा उपलब्ध हो।

(2) कम्प्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट कक्षा तथा अन्य डिजिटल शिक्षण संसाधनों की व्यवस्था आवश्यकता अनुसार की जाएगी।

(3) सभी विद्युत एवं डिजिटल उपकरणों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा तथा समय–समय पर उनका रखरखाव किया जाएगा।

(14) वित्तीय व्यवस्था :–

(1) अशासकीय शिक्षण संस्था की स्थापना, संचालन अथवा अस्थायी या स्थायी मान्यता के लिए किसी न्यूनतम अक्षयनिधि की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) विद्यमान अक्षय निधियों, यदि कोई हों, का उपयोग विद्यालय प्रबंधन द्वारा पूंजीगत व्यय अथवा आवर्ती परिचालन व्ययों के लिए किया जा सकेगा, बशर्ते कि वित्तीय उपलब्धता एवं कर्मचारियों के वेतन संबंधी दायित्वों की सुरक्षा।

(3) विद्यालय संचालन हेतु संस्था के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होना आवश्यक होगा। कर्मचारी वेतन एवं विद्यालय संचालन हेतु वित्तीय क्षमता का स्व–प्रमाणन प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) सत्र समाप्ति के तीन माह के भीतर प्रतिवर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन जमा करना होगा।

(15) हिन्दी / अंग्रेजी माध्यम :–

(1) यदि संस्था हिन्दी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम की कक्षायें भी संचालित करना चाहती है तो उसे अपनी अंग्रेजी माध्यम की शाला को अलग शाला मानते हुए उसकी मान्यता हेतु पूरी प्रक्रिया नवीन मान्यता के अनुरूप करनी होगी। उसके बाद ही अंग्रेजी माध्यम की संस्था का संचालन किया जा सकेगा। (पृथक पृथक भवन, भूमि, खेल का मैदान, प्राचार्य, हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के व्याख्याता संबंधी दस्तावेज) संलग्न करना होगा।

(2) अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं के अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम के ही शैक्षाणिक स्टाफ नियुक्त किया जाना होगा। कक्षा 12वीं तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से किया हो अथवा शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के है, का सत्यापन प्रमाण पत्र एवं स्वघोषणा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(16) अतिरिक्त संकाय :–

(1) अतिरिक्त संकाय / विषय की मान्यता हेतु संस्था द्वारा मंडल के निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन एवं निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अतिरिक्त संकाय हेतु भवन का इंजीनियर से प्रमाणित नक्शा, स्टाफ, प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था होने पर अतिरिक्त संकाय की मान्यता जारी की जावेगी । सत्यापित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।

(2) आवेदन के साथ संस्था प्रमुख द्वारा स्व–प्रमाणन (Self-Certification) प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि अतिरिक्त संकाय के संचालन हेतु आवश्यक अधोसंरचना, कक्ष,

प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कम्प्यूटर सुविधाएँ, अन्य शैक्षणिक संसाधन तथा लागू सुरक्षा एवं वैधानिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

(3) आवेदन के साथ अतिरिक्त संकाय के संचालन हेतु आवश्यक योग्य शिक्षकों की उपलब्धता हो, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर, खेल मैदान, अन्य अधोसंरचना यदि साझा किया जा रहा है तो उनके साझा उपयोग संबंधी दस्तावेज तथा मंडल द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।

(4) मण्डल से मान्यता प्राप्त संस्था को विद्यालय के नाम पट्टिका, प्रवेश आवेदन पत्र व लेटरपेड अंकसूची एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त तथा संस्था का मान्यता कोड का स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा । मण्डल द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र प्राचार्य के कक्ष में अथवा कार्यालय में स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना होगा । इसका पालन संस्था को सुनिश्चित करना होगा ।

(17) विद्यार्थियों की सुरक्षा :–

(1) संस्थाा विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करेगी।

(2) भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हो।

(3) विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये परिवहन साधनों की गुणवत्ता तथा उससे संबंधित कर्मचारियों की योग्यता/प्रमाणिकता शासन द्वारा तय मापदण्ड के अनुरूप होना अनिवार्य होगा।

(4) प्रतिवर्ष परिवहन साधनों का तकनीकी जाँच तथा परिवहन कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाना होगा तथा लागू सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना होगा।

(5) विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से **CCTV** कैमरे की समुचित व्यवस्था सुरक्षा होना चाहिए।

(18) लिगल लिटरेसी क्लब (विधिक साक्षरता क्लब) एवं लिगल एड क्लीनिक (विधिक सहायता उपचार केन्द्र) की स्थापना :–

माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका प्रकरण क्रमांक – 41/2016 में दिए गए निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुशंसाओं (बिन्दु कमांक 4.6.3) के अनुरूप सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों/कालेज/एन.सी.सी./एन.एस.एस. युनिट में लिगल लिटरेसी क्लब एवं लिगल एड क्लीनिक की स्थापना अनिवार्यतः की जानी हैं । भविष्य में किसी भी स्कूल की मान्यता के आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं तो उन आवेदन पत्रों के साथ स्कूल का जो प्रोजेक्ट प्लान (योजना प्रारूप) प्रस्तुत किया जाये उसमें लिगल लिटरेसी क्लब (विधिक साक्षरता क्लब) एवं लिगल एड क्लीनिक (विधिक सहायता उपचार केन्द्र) की स्थापना किये जाने या कर दिये जाने के संबंध में स्पष्ट उद्घोषणा संबंधित स्कूल के द्वारा किया जाना होगा ।

(19) विद्यालय का नामकरण :–

केन्द्र व राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय महत्व के कुछ शब्द विशेष जैसे– "नेशनल" का प्रयोग प्रतिबंधित है । इन शब्दों को प्रयोग विद्यालय के नामकरण हेतु करने पर मान्यता नहीं दिया जावेगा तथा विद्यालय का नामकरण छात्रों एवं पालकों को भ्रमित करने वाले शब्द जैसे :– "इंटरनेशनल", "नवोदय", 'एकलव्य', "प्रयास", "केन्द्रीय" "राष्ट्रीय" "पीएमश्री", "स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ विद्यालय" स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय नहीं रखा जा सकेगा

(20) विद्यालय संचालन बंद करना :–

मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् न्यूनतम एक प्रमाण पत्र परीक्षा (मण्डल परीक्षा) तक विद्यालय संचालन करना अनिवार्य होगा, ताकि विद्यार्थियों को बीच कक्षा में विद्यालय बदलना नहीं पड़े । जैसे :– यदि संस्था हाईस्कूल तक संचालित है तो 10 वीं की परीक्षा होने के बाद 9वीं में जो विद्यार्थी अध्ययनरत होंगे वे भी 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो जाने के बाद ।

यदि हायर सेकण्डरी तक संचालित है तो 10 एवं 12वीं की परीक्षा होने के बाद जो विद्यार्थी 9वीं एवं 11वीं में अध्ययनरत होंगे ये 12वीं तक की परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद । यदि मान्यता प्राप्त संस्था अपनी शाला बंद करना चाहती है तो उसे उसकी सूचना मण्डल को देनी होगी । यदि मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी के निरंतर 02 वर्षों तक मान्यता नवीनीकरण शुल्क ऑनलाईन एवं परीक्षार्थी की प्रविष्टि नहीं करने पर पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसी संस्थाओं की मान्यता स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा ।

(21) शासन की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन :–

शासन द्वारा विद्यार्थी हितार्थ लागू योजना जैसे :– वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण, विद्यार्थी बीमा सुरक्षा, छात्रवृत्ति आदि का पालन करना अनिवार्य होगा ।

(22) विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा शिक्षण सामग्री विक्रय :–

शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त ली जा रही अन्य शुल्क का युक्तियुक्त विद्यालय में उपलब्ध सुविधा से होना चाहिये । शुल्क का अनुमोदन शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक में होना अनिवार्य होगा । इस बैठक में नोडल प्राचार्य की उपस्थिति आवश्यक रूप से हो ।

(23) अशासकीय शालाओं के स्थान/भवन/नाम/माध्यम में परिवर्तन के संबंध में प्रक्रिया :–

इस हेतु पहले शासन से अनुमति प्राप्त करना होगा । शासन से प्राप्त अनुमति के 30 दिन के भीतर मण्डल में आवेदन करना होगा । मण्डल में निर्धारित निरीक्षण शुल्क जमा करने पर मण्डल आवेदित शाला का निरीक्षण एक समिति द्वारा कराकर निरीक्षण रिपोर्ट मान्यता समिति में रखेगी तथा मान्यता समिति उस पर आवश्यक निर्णय लेगी । बिना मण्डल के अनुमति के स्थान/भवन/नाम/माध्यम में परिवर्तन करने की दशा में बोर्ड संस्था की मान्यता निरस्त कर सकेगी ।

(24) संस्था का अंतरण :–

अशासकीय विद्यालय द्वारा शासन/मण्डल की स्वीकृति के बिना अन्य संस्था को प्रबंधन का अंतरण नहीं कर सकेगी । प्रबंध अंतरित किये जाने के प्रस्ताव पर मण्डल द्वारा संस्था का पुनः निरीक्षण एक समिति द्वारा कराये जाने का आदेश दिया जा सकेगा । निरीक्षण शुल्क संस्था को देना होगा । मान्यता समिति की स्वीकृति उपरान्त ही प्रबंध का अन्य संस्था/समिति को अंतरण किया जा सकेगा ।

(25) सी. बी. एस. ई. की मान्यता :–

जिन अशासकीय संस्थाओं को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है ऐसी संस्थाओं को सी. बी. एस. ई. अथवा अन्य बोर्ड की मान्यता देने पर 3 वर्ष का मान्यता शुल्क एकमुश्त ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा । शुल्क जमा न करने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा ।

(26) मान्यता नवीनीकरण :–

(1) प्रत्येक संस्था को निर्धारित अवधि के पूर्व मान्यता नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

(2) नवीनीकरण आवेदन के साथ ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा समिति का जीवित पंजीयन, स्टॉफ सूची, अद्यतन स्व–प्रमाणन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे।

(3) आवश्यकता होने पर निरीक्षण कराया जाएगा।

(4) सभी शर्तों के पालन पर नवीनीकरण आदेश जारी किया जाएगा।

(27) मान्यता का निलंबन /मान्यता समाप्ति :–

(1) निम्न परिस्थितियों में मान्यता निलंबित अथवा निरस्त /समाप्त की जा सकती है :–

(i) मण्डल के निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन करने पर

(ii) स्व–प्रमाणन में मिथ्या जानकारी देना।

(iii) सुरक्षा मानकों का उल्लंघन।

(iv) फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करना।

(v) विद्यार्थियों के हितों की उपेक्षा।

(vi) न्यायालय अथवा शासन के आदेशों का उल्लंघन।

(vii) निरीक्षण में सहयोग न करना।

(2) निरस्तीकरण से पूर्व संस्था को नियमानुसार कारण बताओ सूचना जारी कर समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

उपरोक्त निर्देश शैक्षणिक सत्र 2026 –27 से प्रभावशील होंगे।

(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

2/9/26

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक/3336 /अशास. मान्यता/2026 रायपुर दिनांक 7 / 9 /2026

प्रतिलिपि :

(1) निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर माननीय मंत्री जी को अवगत कराने हेतु ।

(2) समस्त मान0 विधायक सदस्यगण, मण्डल सदस्य, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर ।

(3) निज सहायक, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ

(4) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

(5) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय/संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

(6) समस्त माननीय मण्डल सदस्य, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

(7) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग./समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की ओर सूचनार्थ

(8) समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

(7) समस्त सहायक सचिव/ कक्ष अधिकारी सहायक प्राध्यापक, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर एवं राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ ।

(8) समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की ओर भेजकर सूचित किया जाता है कि छात्र एवं छात्राओं के मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये उपरोक्तानुसार न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित कर निर्देश जारी किये जा रहे है । कृपया सुनिश्चित करें कि उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार संस्था का संचालन किया जा रहा है । ऐसा न होने पर आगामी वर्ष की मान्यता पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा ।

(9) प्रोग्रामर डाटा कक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर मण्डल वेबसाइट एवं समस्त संस्थाओं के पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

2/9/20

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर